# F.No. 04-05/2015-SPN-I Government of India Ministry of Communications Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi- 110 001. Dated 20.06.2022

To,

- 1. All Chief Postmasters General / All Postmasters General
- 2. Director Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy (RAKNPA)
- 3. All Director of Postal Training Centre

Subject: Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022- reg

Madam/Sir,

Encl: As above

I am directed to forward herewith a copy of Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 notified in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No. 459(E) on 17.06.2022.

2. It is requested that the provisions of aforesaid Recruitment Rules may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(Satya Narayana Dash) Director (SPN)

Copy for information to:

- 1. Sr. PPS to Secretary (Posts)
- 2. Sr. PPS to Director General Postal Services
- 3. All Members of the Postal Service Board
- 4. Secretary (PSB)
- 5. CGM (BD) / CGM (MB) / CGM (PLI)
- 6. All Deputy Directors General
- 7. SPN-II Section / DE Section / GDS Section
- 8. All recognised Service Associations / Federations
- 9. GM (CEPT), Mysore for uploading the letter along with the copy of Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 on India Post website.

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236710 CG-DL-E-18062022-236710

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

# सं. 438]नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944No. 438]NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

#### संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

सा.का.नि. 459(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, डाक विभाग में डाक सहायक (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय), डाक सहायक (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई स्थित विदेश डाक संगठनों में), डाक सहायक (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन), डाक सहायक (डाकघर) और छंटाई सहायक (रेल डाक सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरईताएं : वह व्यक्ति,-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

4132 GI/2022

 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- सेवा की अपेक्षा : उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी, जिसके अंतर्गत सेना डाक सेवा भी है, सेवा करने के लिए बाध्य होगा।
- 6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन अथवा अचयन
			स्तर	पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. डाक सहायक (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय)	2738* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500- 81100 रु.)	चयन
	टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।			

अनुसूची

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त</li> <li>विश्वविद्यालय या</li> <li>संस्थान से बैचलर डिग्री;</li> <li>और</li> <li>(ii) कंप्यूटर पर कार्य</li> </ul>	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक

निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। (ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी। (सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।	करने का ज्ञान। टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।		प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
--	---	--	---

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा,	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : भाग (अ) :- (1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) सहायक	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
जिसके न हो सकने पर :-	ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित	महाडाकपाल या	

3

4 18	E GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(1)]
<ul> <li>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</li> <li>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</li> <li>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</li> <li>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</li> <li>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</li> <li>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</li> <li>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सेक सिबिल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी</li> </ul>	<ul> <li>सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</li> <li>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</li> <li>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</li> <li>भाग (आ) :-</li> <li>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</li> <li>भाग (आ) :-</li> <li>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</li> <li>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</li> <li>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यधीन होगी।</li> <li>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</li> <li>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली</li> </ul>	[PARTII—SEC. 3(1)] सहायक निदेशक – अध्यक्ष (2) दो सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य
स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय- समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी। टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से	अनुसार होगी। टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यधीन होगी। परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी। टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	

यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38	
के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।	
टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद	
के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की	
निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड	
करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. डाक सहायक (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई स्थित विदेश डाक संगठनों में)	457* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500- 81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच</li> <li>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदर्शों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</li> <li>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</li> <li>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</li> <li>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु-सीमा, उस वर्ष</li> </ul>	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और</li> <li>(ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</li> <li>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</li> </ul>	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (विदेश डाक संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।	
(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	
*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।	

(10)	(11)	(12)	(13)
<ul> <li>(10)</li> <li>(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</li> <li>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</li> <li>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय</li> </ul>	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : भाग (अ) :- (1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; (2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है; (3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है। भाग (आ) :- वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण	(12) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या डाकघर अधीक्षक या सहायक निदेशक – अध्यक्ष (2) दो डाकघर अधीक्षक या सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस	नियमित सेवा की है। भाग (आ) :- वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ	सदस्य	
हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :- (ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती। (ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित	िटप्पण 1 . सवा रात का पात्रता, उस वय का 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी। टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र		

स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता	द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (विदेश डाक	
के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के	
टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के	अध्यधीन होगी।	
लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता	परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के	
परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा	भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट	
स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-	प्राप्त होगी।	
समय पर जारी शासकीय अनुदेशों	टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	
द्वारा नियंत्रित होगी।	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली	
टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक	है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	
सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें	उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	
नियमित सिविल सेवा के दायरे से	जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई	
बाहर के होने के कारण उनकी	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	
नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी	पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से,	
जाएगी।	इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने	
	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	
टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए	अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,	
पात्रता सेवा जो इन नियमों की	अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	
अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का	परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।	
पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही	यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी,	
रहेगी।	जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38	
	के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात	
	अपनी ज्येष्ठता खो दी है।	
	टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी	
	िटप्पण 4 . किसी पदवारी की पत्रिता, आवण्ठापा रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद	
	रूप त वारित पद त जार पतन माट्रक्त न उत्त पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न	
	क सुसगत वतन स्तर से अववारित को जाएगा, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की	
	निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन,	
	ागणायक साराख का टाइन बाउड पर्न प्रनासन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड	
	बादानपण भडर रिप्यू या नाडिकाइड एराड करियर प्रोग्नेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के	
	आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।	
	אוטוג זג, אנוי אות זיג לפו פו	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. डाक सहायक	3265* (2022)	साधारण केंद्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	चयन
(बचत बैंक नियंत्रण	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		स्तर 4 (25500-	
तथा आंतरिक जांच संगठन)	टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	81100 रु.)	
	किया गया है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
(i) 18 से 27 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : भाग (अ) :- (1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित	(12) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	(।ऽ) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :- (क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-	सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; (2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है; (3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष	<ul> <li>(1) सहायक महाडाकपाल या सहायक निदेशक – अध्यक्ष</li> <li>(2) दो सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</li> </ul>	

(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों\* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-

(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।

(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।

टिप्पण 2 : \*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।

टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।

#### नियमित सेवा की है।

भाग (आ) :-

वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।

टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।

टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यधीन होगी।

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।

यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड

करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के	
आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. डाक सहायक (डाकघर)	69996⁺ (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500- 81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच</li> <li>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच</li> <li>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदर्शों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</li> <li>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</li> <li>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी जाने वाली भर्ती की तशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्यत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंवा जिले का पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</li> <li>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ठपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</li> <li>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य भियड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य अन्य मिद्र होगी।</li> <li>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</li> </ul>	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान। टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (डाकघर) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	पुष्टि के संबंध में	संघ लोक सेवा

कार्यालय या विंग के पदधारियों को	प्रोन्नति :	विचार करने के लिए	आयोग से
छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की	भाग (अ) :-	विभागीय प्रोन्नति	परामर्श करना
प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित		समिति जो	आवश्यक नहीं
सर्किल के पात्र पदधारियों की	(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले	निम्नलिखित से	है।
सीमित विभागीय प्रतियोगिता	ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित	मिलकर बनेगी :-	
परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा,	सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और	(1) ज्येष्ठ डाकघर	
जिसके न हो सकने पर :-	स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित	अधीक्षक या डाकघर	
(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के	सेवा की है;	अधीक्षक – अध्यक्ष	
पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11)	(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले	_	
के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ)	ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की	(2) दो सहायक डाक	
पर उल्लिखित सर्किल के पात्र	नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के	अधीक्षक - सदस्य	
पदधारियों की सीमित विभागीय	स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;		
प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले		
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-	(5) वतन माट्रक्स क स्तरों में पदधारण करने वाल ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष		
	एस पदधारा ाजन्हान एस पद पर पाच वर्ष नियमित सेवा की है।		
(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों*	ानयामत सवा का हा		
की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के	भाग (आ) :-		
आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस	वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में		
वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें	पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ		
रिक्ति हुई हैं या पात्रता की	वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण		
निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय	डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा		
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	भी है।		
मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस	~		
हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य	टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1		
किया हो, जिसके न हो सकने पर :-	जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के		
(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से	लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार		
अगले वर्ष की सीधी भर्ती।	द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के		
	अनुसार होगी।		
(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग	टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति		
द्वारा समय-समय पर अनुमोदित	की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र		
स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता	द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (डाकघर) के लिए		
के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यधीन होगी।		
टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के			
लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता	परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेन्यरियन सेने त्यर्न मैं सेने प्रक्रिपण से नर		
परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा	भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट		
स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-	प्राप्त होगी।		
समय पर जारी शासकीय अनुदेशों	टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,		
द्वारा नियंत्रित होगी।	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली		
टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक	है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां		
सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें	उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया		
नियमित सिविल सेवा के दायरे से	जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई		
बाहर के होने के कारण उनकी	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
बाहर के हान के कारण उनका नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी	पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से,		
जाएगी।	इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने		
भारता।	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		

टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।	अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात	
	क अधान स्थानातरण का उपभाग करन क पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है। टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. छंटाई सहायक (रेल डाक सेवा)	17694* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500- 81100 रु.)	चयन

(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।		
(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)		
*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : भाग (अ) :- (1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :- (क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-	सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; (2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है; (3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	<ul> <li>(1) ज्येष्ठ रेल डाक सेवा अधीक्षक या रेल डाक सेवा अधीक्षक – अध्यक्ष</li> <li>(2) दो सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</li> </ul>	
(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	भाग (आ) :- वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।		
मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :- (ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती। (ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता	टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी। टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'छंटाई सहायकों के लिए प्रेरक		

		1	
के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यधीन होगी।		
टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के	परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के		
लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता	भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट		
परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा	प्राप्त होगी।		
स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-			
समय पर जारी शासकीय अनुदेशों	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली		
द्वारा नियंत्रित होगी।	है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां		
टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक	उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया		
सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें	जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई		
नियमित सिविल सेवा के दायरे से	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
बाहर के होने के कारण उनकी	पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से,		
नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी	इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने		
जाएगी।	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		
टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए	अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,		
पात्रता सेवा जो इन नियमों की	अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी		
अधिसूचना की तारीख को नियमित	परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।		
आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का	यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी,		
पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही	जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38		
रहेगी।	के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात		
	अपनी ज्येष्ठता खो दी है।		
	टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी		
	रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद		
	के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न		
	के उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की		
	निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन,		
	बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड		
	करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के		
	आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।		
L	1	1	

[फा. सं. 04-05/2015-एसपीएन-I]

सत्य नारायण दास, निदेशक (एसपीएन)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

**G.S.R. 459(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant Group 'C' Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices), Postal Assistant (In the Foreign Post Organisations in Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai),

Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations), Postal Assistant (Post Office) and Sorting Assistant (Railway Mail Service) in the Ministry of Communications, Department of Posts, namely:-

1. **Short title and Commencement**. – (1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the pay matrix**. – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

### 4. **Disqualification**. – No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Requirement to serve.** – Any person appointed to the posts specified in the said Schedule shall be liable to serve anywhere in India including in Army Postal Services.

6. **Power to Relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.PostalAssistant (CircleOfficeandRegionalOffices).	<ul> <li>2738* (2022).</li> <li>* Subject to variation dependent on workload.</li> <li>Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.</li> </ul>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.

#### SCHEDULE

Age-limit for direct recruits.	Educational and	Whether	age	and	Period	of
	other	educationa	1		probation,	if
	qualifications	qualification	on		any.	

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	required for	prescribed for direct	
	direct recruits.	recruits will apply in	
		the case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) Between 18 and 27 years.	(i) Bachelor's	No.	Two years for
(Relaxable for candidates belonging to Scheduled	Degree from a		direct recruits
Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes	recognised		subject to
and for Government servants of different categories in	University or		successful
accordance with the instructions issued by the Central	Institute; and		completion of
Government from time-to-time).			'Induction
	(ii) knowledge		Training for
	of working on		Postal Assistant
Note 1: In case of recruitment made through Staff	Computer.		(Circle Office
Selection Commission, the crucial date for	compatient		and Regional
determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.			Offices)',
Stall Selection Commission.	Note:		conducted by
	Educational		the Postal
Note 2: In case of recruitment made through mode	qualification		Training Centre.
other than through Staff Selection Commission, the	shall continue		
crucial date for determining the age-limit shall be the	to be 10+2 pass		
closing date for receipt of applications from candidates	from a		
in India and not the closing date prescribed for those in	recognised		
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Board for		
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti	person holding		
district and Pangi Sub-division of Chamba district of	the post of Gramin Dak		
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands,	Sevaks on		
Ladakh or Lakshadweep.	regular basis on		
	the date of		
(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be	notification of		
forty years as on 01 <sup>st</sup> day of January of the year to	these rules.		
which the vacancy belongs to or as per guidelines			
issued by the Central Government, from time-to-time.			
(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or			
Scheduled Tribe up to five years and for those			
belonging to Other Backward Classes up to three			
years).			
*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but			
they are outside the regular Civil Service due to which			
their appointment shall be treated as direct recruitment.			
**			

Method of recruitment	In case of recruitment by promotion or	If a	Circumstances in
whether by direct recruitment	deputation or absorption, grades from which	Departmental	which Union
or by promotion or by	promotion or deputation or absorption to be	Promotion	Public Service
deputation or absorption and	made.	Committee	Commission to
percentage of the vacancies to		exists, its	be consulted in
be filled by various methods.		composition.	making
			recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)

(i) Forty per cent, by	Promotion through Limited Departmental	Departmental	Consultation with
promotion of eligible officials	Competitive Examination:	Promotion	Union Public
of the Circle, mentioned at		Committee for	Service
Part-(A) of the entry under		considering	Commission is
column (11), excluding	Part- (A): -	confirmation	not necessary.
officials from Postal Account		consisting of:	r
Office or Wing, through	(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay		
Limited Departmental	Matrix with three years of regular service in		
Competitive Examination,	such post or five years of combined regular		
failing which by: -		(1) Assistant	
	service in posts in Level 1, Level 2 and Level	Post Master	
	3 of Pay Matrix;	General or	
(a) promotion of eligible		Assistant	
officials of the Circle,	(2) officials holding post in Level 2 of the Pay	Director —	
mentioned at Part-(B) of the	Matrix with five years of regular service in	Chairman	
entry under column (11),	such post including the regular service in posts		
excluding officials from	in Level 1 of Pay Matrix;		
Postal Account Office or	In Level 1 of Pay Matrix;	(2) Two	
Wing, through Limited		Assistant	
Departmental Competitive	(3) officials holding post in Level 1 of the Pay	Director or	
Examination, failing which	Matrix with five years of regular service in	Assistant	
e e	such post.	Superintendent	
by: -	such post.	of Posts —	
		Members	
(b) direct recruitment on the	Part - (B): -		
basis of competitive			
examination limited to			
Gramin Dak Sevaks* of the	Officials holding post in Level 1, Level 2 and		
Circle, who have worked	Level 3 of the Pay Matrix with total regular		
regularly for eight years in	service of eight years including service		
	rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.		
that capacity, as on 01 <sup>st</sup> day of			
January of the year to which			
the vacancy belongs to or as	Note 1: Eligibility of service condition shall		
per guidelines issued by the	be as on 01 <sup>st</sup> day of January of the year to		
Central Government from	which the vacancy belongs to or as per		
time to time regarding crucial	guidelines issued by the Central Government		
date of eligibility, failing	from time to time regarding crucial date of		
which by: -	eligibility.		
(c) direct recruitment of next	Note 2: Promotion shall be subject to		
year through open	completion of 'Induction Training for Postal		
competition.	Assistant (Circle Office and Regional		
	Offices)', conducted by the Postal Training		
(ii) Sixty per cent, by direct	Centre, within two years from the date of		
recruitment through open	appointment to the promotional post:		
competition as per the scheme	Provided that persons who are due to		
approved by the Department	retire within two years shall be exempted from		
of Posts from time-to-time.	such training.		
	Č		
Note 1: The scheme for			
Limited Departmental	Note 3: Where juniors who have completed		
Competitive Examinations	their qualifying or eligibility service are being		
and Competitive Examination	considered for promotion, their seniors would		

for Gramin Dak Sevaks shall	also be considered provided they are not short	
be governed by the	of the requisite qualifying or eligibility service	
administrative instructions	by more than half of such qualifying or	
issued by the Department of	eligibility service or two years, whichever is	
Posts from time-to- time.	less, and have successfully completed their	
	probation period for promotion to the next	
	higher grade along-with their juniors who	
Note 2: *Gramin Dak Sevaks	have already completed such qualifying or	
are holders of Civil posts but	eligibility service.	
they are outside the regular	This condition shall not be applied with	
Civil Service due to which	reference to such junior officials who lost their	
their appointment shall be	seniority after availing transfer under Rule-38	
treated as direct recruitment.	of the Postal Manual Volume-IV.	
	of the Postal Manual Volume-IV.	
Note 3: The eligibility service		
shall continue to be five years	Note 4: Eligibility of an official shall be	
for person holding the post of	determined with respect to the post held	
	substantively and relevant pay level of the	
	post in Pay Matrix and not with respect to the	
regular basis on the date of	level in which an official is drawing pay as on	
notification of these rules.	the crucial date of eligibility by virtue of	
	financial upgradation under the Time Bound	
	One Promotion, Biennial Cadre Review or	
	Modified Assured Career Progression.	
	Wounder Assurer Career Flogression.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Postal Assistant (In the Foreign Post Organisations in Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai).	457* (2022). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) Between 18 and 27 years.</li> <li>(Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</li> </ul>	<ul> <li>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</li> <li>(ii) Knowledge of working on Computer.</li> </ul>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Foreign Post Organisation)', conducted by the
<ul> <li>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</li> <li>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for</li> </ul>	Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.		conducted by the Postal Training Centre.

receipt of applications from candidates in		
India and not the closing date prescribed for		
those in Assam, Meghalaya, Arunachal		
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,		
Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and		
Pangi Sub-division of Chamba district of		
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar		
Islands, Ladakh or Lakshadweep.		
(ii) Unner and limit for Cremin Dale Secoles*		
(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks*		
shall be forty years as on 01 <sup>st</sup> day of January		
of the year to which the vacancy belongs to or		
as per guidelines issued by the Central		
Government from time-to-time.		
(Relaxable for those belonging to Scheduled		
Caste or Scheduled Tribe up to five years and		
for those belonging to Other Backward		
Classes up to three years).		
classes up to three years).		
*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil		
posts but they are outside the regular Civil		
Service due to which their appointment shall		
be treated as direct recruitment.		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials	Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:	Departmental Promotion	Consultation with Union
of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -	Part- (A): - (1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;	Committee for considering confirmation consisting of: – (1) Senior Superintendent of Post Offices or Superintendent of	Public Service Commission is not necessary.
(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -	<ul><li>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</li><li>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</li></ul>	Post Offices or Assistant Director — Chairman (2) Two Superintendent of Post Offices or Assistant Director or Assistant Superintendent of	
(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle,	Part - (B): - Officials holding post in Level 1, Level 2	Posts — Member	

who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -

(c) direct recruitment of next year through open competition.

(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time to time.

Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.

**Note 2:** \*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.

**Note 3:** The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.

and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.

**Note 1:** Eligibility of service condition shall be as on  $01^{st}$  day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.

**Note 2:** Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Foreign Post Organisation)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:

Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.

**Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.

**Note 4:** Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations).	<ul><li>3265* (2022).</li><li>* Subject to variation dependent on workload.</li></ul>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.
	<b>Note:</b> The posts are distributed amongst 23 postal circles.			

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) Between 18 and 27 years.</li> <li>(Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</li> <li>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission</li> </ul>	<ul> <li>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</li> <li>(ii) Knowledge of working on Computer.</li> <li>Note: Educational</li> </ul>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations)', conducted by the Postal Training Centre.
by the Staff Selection Commission. <b>Note 2:</b> In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.	qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.		
<ul> <li>(ii) Upper age limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time.</li> <li>(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled These belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for these belonging to scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five years and for the scheduled Tribe up to five</li></ul>			
<ul> <li>those belonging to other Backward Classes up to three years).</li> <li>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as</li> </ul>			

direct recruitment.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Forty per cent, by promotion	Promotion through Limited Departmental	Departmental	Consultation
of eligible officials of the Circle,	Competitive Examination:	Promotion	with Union
mentioned at Part-(A) of the	Competitive Examination.	Committee for	Public Service
entry under column (11),		considering	Commission
excluding officials from Postal	Part- (A): -	confirmation	is not
Account Office or Wing,		consisting of: –	necessary.
through Limited Departmental	(1) Officials holding post in Level 3 of the	consisting of	neeessary.
Competitive Examination,	Pay Matrix with three years of regular		
failing which by: -	service in such post or five years of	(1) Assistant Post	
	combined regular service in posts in Level	Master General or	
	1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;	Assistant Director	
(a) promotion of eligible	1, 20, 01 2 and 20, 01 0 01 1 af 11 addin,	— Chairman.	
officials of the Circle, mentioned			
at Part-(B) of the entry under	(2) officials holding post in Level 2 of the	(2) Two Assistant	
column (11), excluding officials from Postal Account Office or	Pay Matrix with five years of regular	Director or	
Wing, through Limited	service in such post including the regular	Assistant	
Departmental Competitive	service in posts in Level 1 of Pay Matrix;	Superintendent of	
Examination, failing which by: -		Posts — Members.	
Examination, family which by:	(3) officials holding post in Level 1 of the		
	Pay Matrix with five years of regular		
(b) direct recruitment on the	service in such post.		
basis of competitive examination			
limited to Gramin Dak Sevaks*	Deat (D):		
of the Circle, who have worked	Part - (B): -		
regularly for eight years in that			
capacity, as on $01^{st}$ day of	Officials holding post in Level 1, Level 2		
January of the year to which the vacancy belongs to or as per	and Level 3 of the Pay Matrix with total		
guidelines issued by the Central	regular service of eight years including		
Government from time-to-time	service rendered regularly as Gramin Dak		
regarding crucial date of	Sevaks.		
eligibility, failing which by: -			
	Note 1: Eligibility of service condition		
	shall be as on 01 <sup>st</sup> day of January of the		
(c) direct recruitment of next	year to which the vacancy belongs to or as		
year through open competition.	per guidelines issued by the Central		
	Government from time to time regarding		
(ii) Sixty per cent, by direct	crucial date of eligibility.		
recruitment through open			
competition as per the scheme	Note 2: Promotion shall be subject to		
approved by the Department of	<b>Note 2:</b> Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for		
Posts from time-to-time.	Postal Assistant (Savings Bank Control		
	and Internal Check Organisations)',		
Note 1: The scheme for Limited	conducted by the Postal Training Centre,		
Departmental Competitive	within two years from the date of		
Examinations and Competitive	appointment to the promotional post:		
Examination for Gramin Dak	Provided that persons who are due to		
Sevaks shall be governed by the	retire within two years shall be exempted		
administrative instructions	from such training.		

issued by the Department of		
<ul> <li>Issued by the Department of Posts from time-to-time.</li> <li>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</li> <li>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</li> </ul>	Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.	
	<b>Note 4:</b> Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Postal Assistant (Post Office).	<ul><li>69996* (2022).</li><li>* Subject to variation dependent on workload.</li></ul>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.
	Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.			

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) Between 18 and 27 years.</li> <li>(Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</li> </ul>	<ul> <li>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</li> <li>(ii) Knowledge of working on Computer.</li> </ul>	No.	Twoyearsfordirectrecruitssubjecttosuccessfulcompletionof'InductionTrainingforPostalAssistant
	Note: Educational		(Post Office)',

Note 1: In case of recruitment made through	qualification shall continue to	conducted by the
Staff Selection Commission, the crucial date	be 10+2 pass from a	Postal Training
for determining the age-limit shall be as	recognised Board for person	Centre.
advertised by the Staff Selection Commission.	holding the post of Gramin	
	Dak Sevaks on regular basis on	
<b>Note 2:</b> In case of recruitment made through	the date of notification of these	
mode other than through Staff Selection	rules.	
Commission, the crucial date for determining		
the age-limit shall be the closing date for		
receipt of applications from candidates in		
India and not the closing date prescribed for		
those in Assam, Meghalaya, Arunachal		
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,		
Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and		
Pangi Sub-division of Chamba district of		
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar		
Islands, Ladakh or Lakshadweep.		
(ii) Upper and limit for Cremin Dale Sauches		
(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01 <sup>st</sup> day of January		
of the year to which the vacancy belongs to or		
as per guidelines issued by the Central		
Government from time-to-time.		
(Relaxable for those belonging to Scheduled		
Caste or Scheduled Tribe up to five years and		
for those belonging to other Backward		
Classes up to three years).		
*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil		
posts but they are outside the regular Civil		
Service due to which their appointment shall		
be treated as direct recruitment.		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing,	PromotionthroughLimitedDepartmentalCompetitiveExamination:Part- (A): -	Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: –	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: - (a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal	(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;	<ul> <li>(1) Senior</li> <li>Superintendent of</li> <li>Post Offices or</li> <li>Superintendent of</li> <li>Post Offices —</li> <li>Chairman</li> </ul>	
Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -	(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including	(2) Two Assistant Superintendent of Posts — Members	

(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks\* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -

(c) direct recruitment of next year through open competition.

(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time-to-time.

Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.

**Note 2:** \*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.

**Note 3:** The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules. the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;

(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.

Part - (B): -

Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.

**Note 1:** Eligibility of service condition shall be as on  $01^{st}$  day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time regarding crucial date of eligibility.

**Note 2:** Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Post Office)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:

Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.

**Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal

Manual Volume-IV.	
Note 4: Eligibility of an official shall be	
determined with respect to the post held	
substantively and relevant pay level of	
the post in Pay Matrix and not with	
respect to the level in which an official	
is drawing pay as on the crucial date of	
eligibility by virtue of financial	
upgradation under the Time Bound One	
Promotion, Biennial Cadre Review or	
Modified Assured Career Progression.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Sorting Assistant (Railway Mail Service).		General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.
	<b>Note:</b> The posts are distributed amongst 23 postal circles.			

(6)	(7)	(8)	(9)
<ul> <li>(i) Between 18 and 27 years.</li> <li>(Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</li> <li>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</li> <li>(ii) Knowledge of working on Computer.</li> <li>Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification</li> </ul>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Sorting Assistant', conducted by the Postal Training Centre.
Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.	of these rules.		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -	Promotion through Limited Departmental Competitive Examination: Part- (A): -	Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: –	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -	(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;	<ul> <li>(1) Senior</li> <li>Superintendent of</li> <li>Railway Mail</li> <li>Service or</li> <li>Superintendent of</li> <li>Railway Mail</li> <li>Service —</li> <li>Chairman</li> </ul>	
(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01 <sup>st</sup> day of January	(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;	(2) Two Assistant Superintendent of Posts — Members	
of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -	(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.		
(c) direct recruitment of next year through open competition.	Part - (B): -		
(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of	Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including		

I	Posts from time-to-time.	service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.	
	Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.	<b>Note 1:</b> Eligibility of service condition shall be as on 01 <sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.	
	<b>Note 2:</b> *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.	<b>Note 2:</b> Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Sorting Assistant', conducted by the Postal Training Centre, within	
	<b>Note 3:</b> The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.	two years from the date of appointment to the promotional post: Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.	
		Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	
		completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
		This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.	
		Note 4: Eligibility of an official	

	shall be determined with respect		
	to the post held substantively		
	and relevant pay level of the		
	post in Pay Matrix and not with		
	respect to the level in which an		
	official is drawing pay as on the		
	crucial date of eligibility by		
	virtue of financial upgradation		
	under the Time Bound One		
	Promotion, Biennial Cadre		
	Review or Modified Assured		
	Career Progression.		
	÷		

[F. No. 04-05/2015-SPN-I]

SATYA NARAYANA DASH, Director (SPN)